कार्यालय : सचिव/अपर सचिव, इ0वि0प्रा0, इलाहाबाद।

पत्रांक : 25/प्र0अ0(भवन)/वि0प्रा0/2016 दिनांक 20 जून, 2016

प्रभारी अधिकारी–कम्प्यूटर

सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–MS-35/8-3-16-36विविध/2016 दिनांक 02 जून, 2016 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ लेना चाहे, जिसके माध्यम से डी0आई0पी0पी0 भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षाओं (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित) को पूर्ण करने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 09.05.2016 को आयोजित बैठक में मानचित्र स्वीकृति विषयक निम्न अपेक्षाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है :–

(1) Make the Zonal Plans online for easy information availability to assist applicants in developing building plans. से सम्बन्धित बिन्दु पर प्रदेश के समस्त मास्टर प्लान्स एवं जोनल प्लान्स को समस्त विकास प्राधिकरण तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड कराया जाये।

(2) Allow third parties to easily verify approval certificate in the public domain for building plan approval. के सम्बंध में यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राधिकरण/परिषद द्वारा स्वीकृत किये जा रहे ले–आउट प्लान्स तथा प्राधिकरण/परिषद एवं निजी विकासकर्ता द्वारा आवासीय (ग्रुप हाउसिंग सहित), औद्योगिक एवं व्यवसायिक योजनाओं के स्वीकृत मानचित्रों को प्राधिकरण/परिषद की वेबसाईट पर जनसामान्य हेतु अपलोड कराया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं में विनिर्दिष्ट कार्यवाही एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त के क्रम में बिन्दु संख्या–1 एवं 2 से सम्बन्धित निम्नवत् कार्यवाही कम्प्यूटर सेल द्वारा की जानी है :–

1. मास्टर प्लान/जोनल प्लान/नियम एवं विनियम इलाहाबाद विकास प्राधिकरण तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड कराया जाय।
2. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्र ले–आउट प्लान्स/निजी विकासकर्ता द्वारा आवासीय (ग्रुप हाउसिंग सहित) औद्योगिक एवं व्यवसायिक योजनाओं के स्वीकृत मानचित्रों को प्राधिकरण की वेबसाईट पर जनसामान्य हेतु अपलोड कराया जाना।

निर्दिष्ट कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत किया जाना है। अतएव समस्त सम्बन्धित को उपरोक्तानुसार अपने स्तर से भी आदेशित कर देवें।

(गुडाकेश शर्मा)
सचिव/अपर सचिव

पत्रांक : 25/प्र0अ0(भवन)/वि0प्रा0/2016 तद्दिनांक : 20-6-2016

प्रतिलिपि :–

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. सचिव/अपर सचिव इ0वि0प्रा0 को सूचनार्थ।
3. मुख्य नगर नियोजक को इस आशय से प्रेषित कि मास्टर प्लान 2021 एवं जोनल प्लान को इ0वि0प्रा0/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं आवास बन्धु के उ0प्र0 की वेबसाईट पर एक सप्ताह के अन्दर अपलोड कराये।
4. प्रभारी अधिकारी (1&2)/समस्त जोनल अधिकारी को इस आशय से कि अपने जोन से सम्बन्धित मानचित्र स्वीकृति विषयक समस्त सूचनाओं को अपलोड कराये।
5. मुख्य भवन लिपिक/समस्त भवन लिपिक (त0स0) सहित को अनुपालनार्थ।

सचिव/अपर सचिव

संख्या–MS-35/8–3–16–36विविध/16

प्रेषक,

पनधारी यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4 नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 2 मई, 2016

विषयःप्रदेश में Ease of Doing Business के दृष्टिगत डी0आई0पी0पी0 भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षाओं के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रदेश में Ease of Doing Business के दृष्टिगत डी0आई0पी0पी0 भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षाओं (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बंधित) को पूर्ण करने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 09.05.2016 को आयोजित बैठक में कई अन्य अपेक्षाओं सहित निम्न अपेक्षाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैः–

(1) Mandate conducting a single joint sit inspection by various government authorities responsible for granting construction permits.

(2) Make the Zonal Plans online for easy information availability to assist applicants in developing building plans.

(3) Allow third parties to easily verify approval certificate in the public domain for building plan approval.

2– भारत सरकार द्वारा की गयी उपरोक्त अपेक्षाओं के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बंध में बिन्दुवार निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(i) Mandate conducting a single joint sit inspection by various government authorities responsible for granting construction permits. के बिन्दु पर किन्हीं आवेदक द्वारा प्राधिकरण/परिषद में प्रस्तुत मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में प्राधिकरण/परिषद के कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। इसी प्रक्रिया में अन्य विभागों, जिनसे प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाता है, द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। इस व्यवस्था को जनहित में सरल करते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में

अन्य सम्बंधित विभागों से समन्वय करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त सम्बंधित विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाय तथा इसकी सूचना आवेदक को भी दी जाय।

(ii) Make the Zonal Plans online for easy information availability to assist applicants in developing building plans. से सम्बंधित बिन्दु पर प्रदेश के समस्त मास्टर प्लान्स एवं जोनल प्लान्स को समस्त विकास प्राधिकरण तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश की वेबसाईट पर 'अपलोड' कराया जाये।

(iii) Allow third parties to easily verify approval certificate in the public domain for building plan approval. के सम्बंध में यह सुनिश्चित किया जाये कि प्राधिकरण/परिषद द्वारा स्वीकृत किये जा रहे ले–आउट प्लान्स तथा प्राधिकरण/परिषद एवं निजी विकासकर्ता द्वारा आवासीय (ग्रुप हाउसिंग सहित), औद्योगिक एवं व्यावसायिक योजनाओं के स्वीकृत मानचित्रों को प्राधिकरण/परिषद की वेबसाईट पर जनसामान्य हेतु अपलोड कराया जाये।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(पनधारी यादव)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
2– निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराते हुये, शासन की प्रतियां समस्त सम्बंधित को प्रेषित करने का कष्ट करें।
3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4– अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव

सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.05.2016 को **Ease of Doing Business** के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति : सँलग्नक।

प्रदेश में Ease of doing Business के सम्बन्ध भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षाओं पर समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श किया गया है। निम्न निर्णय लिया गया :–

1. बैठक में समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों तथा अपर आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से प्रतिभाग करने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु अधिकांश प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों तथा अपर आवास आयुक्त द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया है।

2. बैठक में DIPP द्वारा निर्दिष्ट बिन्दु संख्या–62 से लेकर 80 तक आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित पाये गये, जिस पर अभिकरणों को अभिमत/आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु निम्न अभिकरणों को वांछित अभिमत/आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी:–

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी, बांदा, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, उन्नाव, रामपुर, उरई, खुर्जा, आजमगढ़ तथा बागपत–खेखड़ा।

3. DIPP के विभिन्न बिन्दुओं पर बिन्दुवार चर्चा कर आवास बन्धु द्वारा तैयार किये गये कमेन्ट्स पर विस्तृत विचार–विमर्श हुआ। बिन्दु संख्या–75 **"Establish a dedicated conflict resolution mechanism for land and construction permits"** के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण स्तर पर इस हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये, जिसमें सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित प्राधिकरण के अभियन्त्रण एवं नियोजन विभाग के वरिष्टतम अधिकारी सदस्य होंगे।

4. बिन्दु संख्या–66, 67 एवं 68 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि समस्त विकास प्राधिकरण उस प्राधिकरण वेबसाइट पर सम्बन्धित विकास क्षेत्र का मास्टर प्लान/जोनल प्लान 'अपलोड' कर उक्त की सूचना आवास बन्धु को प्रेषित करें।

5. बिन्दु–76 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मानचित्र स्वीकृति प्रकिया हेतु वांछित समस्त अभिलेखों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइड पर 'अपलोड' किया जाये तथा उक्त सूचना आवास बन्धु को प्रेषित किया जाये।

6. बिन्दु–79 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि समस्त उपाध्यक्ष, प्राधिकरण की वेबसाइट पर समस्त 300 वर्ग मीटर से ऊपर के आवासीय, ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, आवासीय कालोनी इत्यादि के स्वीकृत मानचित्र इस प्रकार लोड करेंगे कि वह जन–सामान्य के लिए स्वतः ही उपलब्ध हो।

7. उपरोक्त कार्यवाहियों हेतु आवास बन्धु एवं शासन स्तर पर भी समुचित परिवेक्षण किया जायेगा।

(कार्यवाही : आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद / उपाध्यक्ष, समस्त वि0प्रा0 / मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक / 'आवास–बन्धु')

अन्त में सभी को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

पनधारी यादव
सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

पत्रांक संख्या: 473/आ.ब.1/2016 दि-30-5-16

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

(एस0के0श्रीवास्तव)
निदेशक
'आवास–बन्धु', उ0प्र0